मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ

लाजिस्टिक्स इकाई, सिग्नेचर भवन, पंचम तल, टावर–1 गोमतनीनगर विस्तार फेज–2 लखनऊ
(फैक्स नम्बर–0522–2724030)

संख्या : लाजि0–एम0टी0–100/2022 (आ0चा0 चयन) दिनांकः अप्रैल 07 ,2022

सेवा में,

1. **अपर पुलिस महानिदेशक**, समस्त जोन, उ0प्र0 लखनऊ।
2. **पुलिस आयुक्त**– कमिश्नरेट लखनऊ/गौतमबुद्धनगर/कानपुर/वाराणसी ।
3. **पुलिस महानिरीक्षक,** पीएसी मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ।

कृपया अवगत कराना है कि आरक्षी चालक के चयन वर्ष 2022 (01.07.2022 से 30.06.2023) के रिक्त पदो के सापेक्ष चयन की कार्यवाही की जानी है।

2– उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ सरकारी सेवा नियमावली–2015 के नियम–5(क) में **आरक्षी चालक के पद पर चयन हेतु ऐसे आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी सशस्त्र पुलिस एवं आरक्षी पीएसी पात्र होगें** जो निम्न शर्ते पूर्ण करते हों:–

1. चयन वर्ष के प्रथम दिवस को 32 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हों
2. अच्छे स्वास्थ्य का हो और बगैर चश्में या सहायता के ऑखो की दृष्टि 6/6 हो

3– पूर्व में आरक्षी चालक के पद से प्रत्यावर्तित न हुआ हों।

4– मोटरयान अधिनियम 1988 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत भारी तथा हल्के वाहनो का ड्राइविंग लाइसेन्स धारक होना अनिवार्य हैं ।

5– भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को 03 वर्ष की सेवा (प्रशिक्षण केन्द्र में किये गये प्रशिक्षण की अवधि को छोड़कर) पूर्ण कर ली हों ।

6– विगत पॉच वर्षो की अवधि में:–

(एक) सत्यनिष्ठा रोकी न गयी हो, या
(दो) कोई दीर्घ दण्ड न मिला हो, या
(तीन) दो या उससे अधिक लघु दण्ड न मिले हों ।

7–विगत तीन वर्षो की अवधि में:–

(एक) कोई लघु दण्ड न मिला हो, या
(दो) दो या उससे अधिक छोटे दण्ड न मिले हों, या
(तीन) कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न मिली हों ।

3– **नामांकन भेजते समय निम्नांकित निर्देशो का कड़ाई से पालन किया जाय:–**

1-नामांकित आरक्षी के स्वास्थ्य परीक्षण (विशेषतः दृष्टि परीक्षा) नमाांकन भेजने के पूर्व ही करा लिया जाय तथा दृष्टि परीक्षा का परिणाम स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय अर्थात दृष्टि परीक्षा के परिणाम ठीक है, आदि अंकित न करके चिकित्सक द्वारा दिये गये चिकित्सा प्रमाण पत्र में दृष्टि परीक्षा का परिणाम अंको में अंकित किया जाय। यदि दृष्टि परीक्षा में आरक्षी कलर ब्लाइन्ड पाया जाता है तो चिकित्सा प्रमाण पत्र में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय (नामांकन के साथ चिकित्सा प्रमाण अवश्य संलग्न किया जाय ।

3. वाहन चालन कार्य के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य परीक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं।
4. इस निर्देश का जनपदों/वाहिनियों/इकाईयों में व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाय ताकि किसी भी इच्छुक/पात्र आरक्षी का नामांकन छूटने न पाये।
5. चयन वर्ष का कट आफ डेट 01 जुलाई हैं ।
6. आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी सशस्त्र पुलिस एवं आरक्षी पीएसी के अतिरिक्त आरक्षी आरमोरर एवं आरक्षी घुड़सवार पुलिस उक्त चयन में सम्मिलित नही किये जायेगें ।
7. नामांकन के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध करायी जाय कि प्रारूप में अंकित सभी सूचनाएं सर्व प्रकार सही–सही अंकित की गयी है एवं अंकित की गयी सूचना में कोई त्रुटि नही हैं। विशेषकर जन्मतिथि एवं भर्ती तिथ का मिलान इनके अभिलेखो से अवश्य करा लिया जाय।
8. पूर्व में प्राप्त नामांकन का परीक्षण किया गया तो पाया गया था कि बहुताय वाहिनियों द्वारा ऐसे कर्मियों के नामांकन भेजे गये थे, जिनके पास मात्र हल्के वाहन चलाने के लाइसेन्स थे । जिससे यह स्पष्ट करना है कि नामित किये जाने वाले कर्मियो के पास हैवी एवं हल्के दोनो वाहनों के वैध लाइसेन्स होने अनिवार्य है। कुछ वाहिनियों द्वारा ऐसे भी कर्नियों के नामांकन उपलब्ध करा दिये गये थे जिनके हैवी लाइसेन्स की वैधता समाप्त हो गयी थी । नामांकन भेजने के पूर्व जनपद/वाहिनी स्तर पर नामित किये जाने वाले कर्मी के आयु, सेवा, चिकित्सा, दण्ड एवं लाइसेस की वैधता का परीक्षण कराकर पात्र कर्मियों के नामांकन ही मुख्यालय पर भेजे जायं।
9. निर्धारित प्रारूप एवं निर्देश इस कार्यालय के बेवसाईट up police-police units-Logistics-circular-For latest circular Click here-Go to circular Archive पर प्रकाशित किया गया है, जहॉ से डाउनलोड किया जा सकता है।
10. **चयन वर्ष 2019, 2020 एवं 2021 में आरक्षी चालक के पद पर पात्र पाये गये 709 आरक्षियों का आरक्षी चालक के पद पर चयन की कार्यवाही प्रचलित है,** जिन कर्मियों को उक्त चयन वर्षो में पात्र पाया गया है, उन्हे आवेदन पत्र दिये जाने की आवश्यक्ता नही है, क्योंकिं उनका चयन की कार्यवाही प्रचलित है।

अतः निदेशानुसार आपसे अनुरोध है कि समस्त जनपदो/पीएसी वाहिनियो/इकाईयो से अर्हता पूर्ण करने वाले इच्छुक आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी सशस्त्र पुलिस एवं आरक्षी पीएसी का नामांकन अंग्रेजी के TIMES NEW ROMAN FONT SIZE-10 में संलग्न प्रारूप–ए, में तैयार कर आवेदन पत्र, चिकिसा प्रमाण पत्र एवं भारी तथा हल्के वाहनो का ड्राइविंग लाइसेन्स की प्रमाणित पठनीय छायाप्रति सहित सम्बन्धित सहायक के माध्यम से दिनांक 30.04.2022 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें । निर्धारित तिथि के उपरान्त नामांकन स्वीकार नही किये जायेगें, अतः समय सीमा का विशेष ध्यान दिया जाय।

संलग्नकःप्रारूप ''ए''

7/4/22

(रोहन पी0 कनय)
पुलिस अधीक्षक,''लाजिस्टिक्स''
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

प्रतिलिपिः– समस्त विभागाध्यक्ष को सादर सूचनर्थ एवं उपरोक्तानुसार नामांकन प्रेषित किये जाने हेतु सादर प्रेषित हैं ।

आरक्षी चालक के पद पर चयन हेतु चयन वर्ष 2022 के सम्बन्ध में नामांकनः–

क्र0 सं0	पी0एन0 ओ0 नम्बर	पदनाम	नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	दिनांक 01.07.2022 को आयु			भर्ती तिथि	प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त जनपद / वाहिनी में आमद की तिथि	दिनांक 01.07.2022 को कुल सेवा (प्रशिक्षण अवधि को छोडकर)			विगत 05 वर्षों में दिये गये दण्ड का विवरण (वर्ष 01.01.2017 से दि0 31.12.2021 में मिले दण्डों को अंकित किया जायेगा)			पिछले 03 वर्षों में दिये गये दण्ड का विवरण। (वर्ष 01.01.2019 से दि0 31.12.2021 में मिले दण्डों को अंकित किया जायेगा)			विभागीय कार्यवाही/ पंजीकृत अभियोग का विवरण यदि कोई हो तो	दृष्टि परीक्षण का परिणाम 6/6 होना अनिवार्य है। (कलर ब्लाइंड न होने का स्पष्ट उल्लेख किया जाये)	हैवी एवं लाइट वेहिकल के लाइसेन्स धारक का स्पष्ट उल्लेख किया जाय (हैवी एवं लाइट दोनो लाइसेन्स धारण होना अनिवार्य हैं)	सम्बन्धित कर्मी का मोबाईल नम्बर	वर्तमान नियुक्तिस्थान
						वर्ष	माह	दिन			वर्ष	माह	दिन	दीर्घ दण्ड की संख्या व दण्ड की घटना की तिथि	दो या दो से अधिक लघु दण्ड की संख्या व दण्ड के घटना की तिथि	सत्यनिष्ठा रोकी गयी हो तो उसका वर्ष व उसका घटना की तिथि	लघु दण्ड की संख्या व दण्ड की घटना की तिथि	दो या दो से अधिक छुद्र दण्ड की संख्या व दण्ड के घटना की तिथि	सत्यनिष्ठा रोकी गयी हो तो उसका वर्ष व उसका घटना की तिथि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25